



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

अष्टम तल, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांक: स्टोर/टी०सी०/2016

दिनांक: 22 जून, 2017

खुली नीलामी

विज्ञापन सं० 3/2017

उ० प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ में निष्प्रयोज्य पेट्रोल वाहन यू०पी०-32/डी-4667 (जिप्सी), माडल 1991 एवं यू०पी० 32/ए वाई-1955 (अम्बेसडर कार), माडल 2003 की नीलामी "जहाँ है, जैसी स्थिति में है" दिनांक 13-7-2017 को अपरान्ह 2:00 बजे की जायेगी। नीलामी बोली में भाग लेने हेतु रू० 10,000/- (रूपया दस हजार) की जमानत राशि, जो सचिव, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक/नकद के माध्यम से दिनांक 12-7-2017 को मध्यान्ह 12.00 तक जमा करना होगा। नीलामी की शर्तें परिषद की बेवसाइट [www upcaronline.org](http://www.upcaronline.org) पर उपलब्ध हैं।

स्थान : लखनऊ

दिनांक : 22-6-2017

सहायक महानिदेशक



उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद

U.P. COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH

अष्टम् तल, किसान मंडी भवन, विभूति खंड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

8th Floor, Kisan Mandi Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

पत्रांक: स्टोर/टी०सी०/2016

दिनांक: 22 जून, 2017

खुली नीलामी की शर्तें

1. नीलामी "जहां है, जैसी स्थिति में है" वाहनों की उ० प्र० कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा खुली नीलामी के तौर पर की जायेगी।
2. प्रत्येक बोलीदाता नीलामी से पूर्व अपने स्तर से किसी भी कार्य दिवस में वाहनों को भली-भांति जाँच कर सकता है। बोली स्वीकृत होने के उपरान्त किसी भी प्रकार की शिकायत पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।
3. बोलीदाता को वाहनों का उठान अपने खर्च पर करना होगा।
4. नीलामी में भाग लेने वाले यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास वांछित लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र हो, अन्यथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा।
5. वैट/व्यापार कर नियमानुसार स्वीकृत बोलीदाता द्वारा अतिरिक्त देय होगा। अन्य किसी प्रकार के स्थानीय टैक्स का उत्तरदायित्व भी क्रेता का होगा।
6. विवाद की स्थिति में मा० न्यायालय, लखनऊ अथवा सम्बन्धित जनपद ही मान्य होगा।
7. नीलामी के समय पैन नम्बर तथा टिन नम्बर की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराना आवश्यक है, अथवा नीलामी में बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
8. नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओं को जमानत धनराशि ₹० 10,000/- (रूपया दस हजार), जो सचिव उ० प्र० कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में देय हो, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक स्थानीय शाखा पर देय हो अथवा नकद स्वीकार किया जायेगा। वांछित जमानत की धनराशि के अभाव में बोलीदाता द्वारा दी गयी बोली स्वीकार नहीं होगी।
9. बोली स्वीकृत न होने की दशा में जमानत धनराशि बोलीदाताओं को वापस कर दी जायेगी।
10. नीलामी की अधिकतम धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि अधिकतम बोलीदाता द्वारा तुरन्त जमा करायी जायेगी एवं अवशेष धनराशि परिषद से स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त वैट सहित अधिकतम बोलीदाता से जमा करायी जायेगी।
11. वाहनों को एक सप्ताह के अन्दर उठान कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गई 50 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
12. सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
13. किसी भी वाहन को नीलामी में रखने अथवा न रखने बोलीदाता को बिना कारण बताए स्वीकार करने अथवा न करने का पूर्ण अधिकार परिषद के सक्षम अधिकारी में निहित होगा।